भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 917 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024/4 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है

लीज किराया संग्रहण

† 917. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में मोरमुगोआ पोर्ट अथॉरिटी द्वारा मैसर्स जिंदल साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड और मैसर्स अदाणी मोरमुगोआ पोर्ट लिमिटेड को पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के लिए पट्टा समझौते के अनुसार प्रति वर्ष का पट्टा किराया क्या है;

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उक्त कंपनियों से पट्टा किराया की कितनी राशि एकत्र की गई है;

(ग) गोवा में मोर्मुगाओ पोर्ट अथॉरिटी में कोयला हैंडलिंग बर्थ के लिए उक्त कंपनियों से कितनी रॉयल्टी प्राप्त हुई;

(घ) उक्त कंपनियों से बकाया की वसूली के लिए दोनों कंपनियों के विरूद्ध चल रही विधिक कार्यवाही, यदि कोई हो, को दर्शाने वाली पट्टा किराया, रॉयल्टी या किसी अन्य वसूली के लिए देय राशि क्या है; और

(ङ) क्या सरकार के पास एमपीए से कोयला जैसे खतरनाक कार्गो को वर्तमान अत्यधिक जनसंख्या वाले शहर से दूर स्थानांतरित करने की कोई योजना है और यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) : गोवा में मुरगांव पत्तन प्राधिकरण (एमपीए) द्वारा मैसर्स जिंदल साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड और मैसर्स अदाणी मुरगांव पोर्ट लिमिटेड को कोई भी भूमि पट्टे पर नहीं दी गई है।

(ख) से (घ): प्रश्न नहीं उठता।

(ङ): केंद्र सरकार के पास मुरगांव पत्तन प्राधिकरण से कोयला हस्तांतरण करने के लिए कोई योजनाएं नहीं है।

*****